

101  
26 DEC 2021 202  
2075

भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
15000

पंद्रह हजार रुपये

आसन

FIFTEEN  
THOUSAND RUPEES

Rs.  
15000

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

991388

स्टाम्प ड्यूटी रुपये	79,125-00
पंचायत ड्यूटी रुपये	15,825-00
अधिक स्टाम्प रुपये	50-00
<hr/>	
कुल स्टाम्प रुपये	95,000-00

योहर में रुपये 15,82,500-00 अक्षरी  
रुपये पंद्रह लाख बयासी हजार पाँच सौ  
मात्र।

॥ श्री ॥  
॥ विक्रय-पत्र ॥

Flat No-201

कँवलजीतसिंह भाटिया एच.यु.एफ. तर्फे कर्ता  
श्री कँवलजीतसिंह पिता श्री अमरजीतसिंह भाटिया  
निवासी 19-ए, प्रेम नगर, इंदौर म0प्र0

-विक्रेतापक्ष

- (1) श्री गुरजीतसिंह भाटिया पिता श्री अमरीकसिंह भाटिया
- (2) श्रीमती गुनीतकौर भाटिया पति श्री गुरजीतसिंह भाटिया  
दोनों निवासी 414, विष्णुपुरी एनेक्स, इंदौर म0प्र0

- क्रेतापक्ष

प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर विक्रेतापक्ष यह विक्रय-पत्र क्रेतापक्ष के हित में  
(विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष को आगे विक्रेता एवं क्रेता के नाम से संबोधित किया गया हैं,  
विक्रेता एवं क्रेता के इस संबोधन में विक्रेता एवं क्रेता स्वयं उनके वारसान, उत्तराधिकारी,  
वैध प्रतिनिधि, असायनीज, हितबंध आदि सम्मिलित है) निम्नानुसार लिख देते हैं कि :-

अविरत...2.

J. Shastri  
H. H. H.

A. Bhawatia

Guneet

10-6592

10.12.2012

$$\frac{15\text{MK}}{3} + \frac{500}{10} = 9500/-$$

देश व HUF के द्वारा अनुमति दिया गया अवधारणा का बिल  
रुपर्यंग अवधारणा का बिल अवधारणा का बिल

25 मार्च 2012

R

पुस्तक	.....	79125-
प्राप्ति	.....	
पंचांग	.....	
कृपाल	.....	15825-
अतिरिक्त पुस्तक	.....	-50-
प्राप्ति	.....	
	.....	95000/-

उप पंजीयक  
लाहौर, इन्डौर - 2




Officing

द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा

के द्वारा उप जिला इन्डौर = 2,  
जिला इन्डौर के उप पंजीयक के  
कार्यालय में तारीख = 26.12.2012  
को द.प.प. 31.50 रुपये  
प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक  
लाहौर, इन्डौर - 2

26 DEC 2012



मध्य प्रदेश MADHYA PR.

992549

-- 2 --

(1) यह कि, विक्रेता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखंड ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इंदौर (सर्वे नंबर 7/5/4 पर स्थित) स्थित रानीबाग मेन यहा स्थित भूखंड क्रमांक 211 है। सदर भूखंड विक्रेता ने श्री महेश कुमार पिता स्व. श्री रामचंद्रजी से रजि. विक्रय-पत्र क्रमांक 13/1707(16) दिनांक 19-10-2011 के जरिये क्रय किया है। सदर भूखंड की साईज पूर्व सिरा 109 फीट, पश्चिम सिरा 91 फीट, उत्तर सिरा 50 फीट, दक्षिण सिरा 53 फीट 4 इंच होकर कुल क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट अर्थात् 464.68 वर्गमीटर हैं। सदर भूखंड की चतुर्सीमा निम्नानुसार हैं :—

पूर्व में	:	भू-भाग क्रमांक 212
पश्चिम में	:	भू-भाग क्रमांक 210
उत्तर में	:	भू-भाग क्रमांक 215
दक्षिण में	:	सड़क

(2) यह कि, सदर भूखंड पर बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत, से नक्शा स्वीकृत (भवन अनुज्ञा-पत्र क्रमांक 4/68 दिनांक 13-03-2010) हैं, तथा विक्रेता द्वारा बहुमंजिले भवन "सिमरन आर्केड" का निर्माण किया है।

अविरत...3.

Observe

J. Shrivastava  
T. S. Lok

Guneet

२५ उत्तराखण्ड राज्य आदेश, H.U.F. द्वारा दत्त  
अमृतसर सिंह आदेश  
- १७-A मुमुक्षुवार, दिल्ली



① दुर्घटना रिपोर्ट आदेश आदेश  
दैनिक दुर्घटनाका बारे दुर्घटना रिपोर्ट आदेश  
- ५१४ अंग्रेजी दस्तावेज़, दिल्ली

जिन्हें मैं लक्षित कर सकता हूँ  
स्वीकार दरबार द्वारा लक्षित  
दैनिक दुर्घटनाका बारे दुर्घटना रिपोर्ट  
गया है। इसका लागत लाख ३०० रुपये  
रु. ५८२५००/-  
(अर्थ)  
५१४ तथा १९७ एडवाइजरी दस्तावेज़ द्वारा प्राप्त आदेश  
शब्दों में लक्षित की गयी दृष्टिकोण  
घुकावे या एक जल प्रदोषक की  
बकाया रखना, रखना चाहिए  
बच गई है जो लक्षित के बाद ब्राह्म  
होगी। आज तारीख .....

① अंग्रेजी रिपोर्ट आदेश आदेश

११० अग्रिमाला, दिल्ली


② दुर्घटना रिपोर्ट आदेश दृष्टिकोण

११९ अग्रिमाला, दिल्ली

की जीव प्रदोषक निष्पादक/निष्पादकों  
की दृष्टिकोण द्वारा लक्षित है।

दाता संस्कार  
२६ दिसंबर २०१७

जनसंस्कार  
लालकिला, दिल्ली



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

992550

-- 3 --

(3) यह कि, विक्रेता ने उक्त बहुमंजिले भवन "सिमरन आर्केड" पैकी द्वितीय मंजिल के प्रकोष्ठ क्रमांक 201 को इस लेख में निम्नलिखित शर्तों पर क्रेता को बिक्री कर दिया है।

(4) बिक्री किये गये प्रकोष्ठ का वर्णन व चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

प्रकोष्ठ ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इंदौर (सर्वे नंबर 7/5/4 पर स्थित) रानीबाग मेन यहा स्थित भूखंड क्रमांक 211 पर निर्मित बहुमंजिला भवन "सिमरन आर्केड" पैकि द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 201 है। सदर प्रकोष्ठ का सुपर बिल्टप एरिया 1135 वर्गफीट अर्थात् 105.48 वर्गमीटर है। सदर प्रकोष्ठ के निकास की व्यवस्था भवन के कॉमन पैसेज व चढ़ाव से होकर सामने की ओर स्थित सड़क से रहेगी। सदर प्रकोष्ठ वर्तमान में अपूर्ण निर्मित है। सदर प्रकोष्ठ आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है। सदर प्रकोष्ठ की पार्टीशनवाल सामलाती उपयोग व उपभोग की है तथा छत के अधिकार इस विक्रय में सम्मिलित नहीं है। सदर प्रकोष्ठ की चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	:	भू-भाग क्रमांक 212
पश्चिम में	:	प्रकोष्ठ क्रमांक 202
उत्तर में	:	लॉबी
दक्षिण में	:	सड़क

अविरत...4.

D. Patel

Oblique

Guneet

6 NOV 2012



*Signature*



26 DEC 2012

लाल  
जोधपुर

*Signature*

*R*



*Signature*

निष्पादक प्रतिक्रिया अभिकर्ता  
मुरली कृष्ण

का मिलान  
को किया गया।

26 DEC 2012

उप पंजीयक  
साल-जिला, झंडौर - 2



Gu




*Signature*

निष्पादक प्रतिक्रिया अभिकर्ता  
मुरली कृष्ण

का मिलान  
को किया गया।

26 DEC 2012

उप पंजीयक



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725643

(5) यह कि, उपरोक्त वर्णन एवं चतुर्सीमा के बीच का प्रकोष्ठ सब बंधा व खुला आगे से पीछे, अंदर से अंदर तक विक्रेता ने क्रेता को मालकी हक्क सहित कुल कीमत रुपये 15,82,500-00 अक्षरी रुपये पंद्रह लाख बयासी हजार पाँच सौ मात्र में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण धनराशि विक्रेता ने क्रेता से निम्नानुसारं प्राप्त कर ली है :-

रु. 1,00,000-00	अक्षरी रुपये एक लाख युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा विष्णुपुरी, इंदौर के चेक क्रमांक 005325 दिनांक 26-11-2012 के जरिये।
रु. 1,00,000-00	अक्षरी रुपये एक लाख युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा विष्णुपुरी, इंदौर के चेक क्रमांक 218206 दिनांक 26-11-2012 के जरिये।
रु. 5,82,500-00	अक्षरी रुपये पाँच लाख बयासी हजार पाँच सौ युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा विष्णुपुरी, इंदौर के चेक क्रमांक 005326 दिनांक 26-11-2012 के जरिये।
रु. 8,00,000-00	अक्षरी रुपये आठ लाख एकसीस बैंक शाखा सपना-संगीता रोड, इंदौर के चेक क्रमांक 298923 दिनांक 24-11-2012 के जरिये।
<hr/> रु. 15,82,500-00	अक्षरी रुपये पंद्रह लाख बयासी हजार पाँच सौ मात्र।

उपरोक्तानुसार विक्रेता ने क्रेता से प्रतिफल की संपूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली है। अब इस विक्रय क्षयहार बाबद विक्रेता का क्रेता से कुछ भी लेना शेष रहा नहीं है।

अविरत...5.

*[Signature]*

*@bhatera*

*[Signature]*

583


12 Nov 2012 बधाल दल



Amardeep



Amardeep




निष्पादक पत्रक संगठन  
अमरपुर सी.ए के अंगूठे

का निरामण के लिए यह ... 26 DEC 2012  
को किया गया

पंजीयक  
उप-जिला, इंदौर - 2

D.S.L.



S.S.

निष्पादक पत्रक संगठन  
अमरपुर सी.ए के अंगूठे

का निरामण के लिए यह ... 26 DEC 2012  
को किया गया

पंजीयक  
उप-जिला, इंदौर - 2



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725644

— 5 —

(6) यह कि, बिक्री किये गये उक्त प्रकोष्ठ को आगे सुविधा की दृष्टि से संपत्ति शब्द से संबोधित किया गया है।

(7) यह कि, उक्त रजिस्ट्री कँवलजीतसिंह भाटिया एच.यु.एफ. तर्फ कर्ता श्री कँवलजीतसिंह भाटिया पिता श्री अमरजीतसिंह भाटिया द्वारा की गई हैं तथा उक्त संपत्ति के विक्रय से प्राप्त संपूर्ण धनराशि श्री कँवलजीतसिंह भाटिया द्वारा कँवलजीतसिंह भाटिया एच.यु.एफ. के हिस्से में ही संरक्षित एवं व्यय की जावेगी।

(8) यह कि, बिक्री की गई संपत्ति का रिक्त अवस्था में कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को मय असल दस्तावेजों की फोटोकॉपी सहित सौंप दिया गया है।

अविरत...6.

Observe


Signature

Guneek

2075


26 DEC 2012

2075



OK

2075  
29 NOV 2012



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725645

-- 6 --

(9) यह कि, क्रेता ने उक्त निर्मित भवन में क्रय की गयी संपत्ति को स्वयं भली प्रकार देख कर सभी दातावेजों का अवलोकन कर तथा इस विक्रय पत्र में लिखी शर्तों का पालन करने की शर्त पर उक्त संपत्ति क्रय की है।

(10) यह कि, छिकी की गई संपत्ति के सबसे उपर की छत इस विक्रय में शामिल नहीं है तथा इस बहुमंजिले भवन के सबसे उपर की छत के मालिक विक्रेता ही रहेगे तथा यदि भविष्य में निर्माण की अनुमति प्राप्त होती है तो विक्रेता निर्माण के लिये स्वतंत्र रहेगे इस बाबद किसी भी संपत्ति होल्डर्स की आपत्ति मान्य नहीं होगी। यदि किसी कम्पनी का कोई टॉवर, डीश एंटीना विक्रेता लगाते हैं तो क्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।


(11) यह कि, सुदर संपत्ति विक्रेता ने क्रेता को बिक्री कर देने से सुदर संपत्ति के जो जो हक्क विक्रेता को थे, वह सब हक्क रद्द होकर क्रेता को इस विक्रय पत्र के द्वारा सुदर संपत्ति के मालकी के पूर्ण हक्क प्राप्त हो गये हैं अब क्रेता ने सुदर संपत्ति पर अपनी मालकी करके इसका उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार हमेशा लेते जाना इसमें विक्रेता की किसी भी प्रकार की हरकत या आपत्ति रहेगी नहीं।

अविरत...7.

Chhatra

Dhaka

Guneet



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725649

-- 7 --

(12) यह कि, सदर संपत्ति विक्रेता ने क्रेता के सिवाय दीगर जगह गिरवी या बिक्री की हुई नहीं है और उन्होंना ही कोई दान या बक्षिस में दी है। सदर संपत्ति पर किसी का डिक्री, चार्ज, मेन्टेनेंस, कर्ज का या जमानत का तथा अन्य किसी भी प्रकार का हक्क, संबंध, भार अथवा बोझा नहीं है। सदर संपत्ति हर प्रकार के भार व व बोझ से मुक्त है। सदर संपत्ति विक्रेता के मालकी का होकर सदर संपत्ति क्रेता को बिक्री करने का विक्रेता को पूर्ण अधिकार है।

(13) यह कि, क्रेता को सदर भवन के कामन, पैसेज चढ़ाव, पार्किंग स्थल, बोरिंग, लिफ्ट उपकरणों यंत्रों आदि के उपयोग व उपभोग का अधिकार इस बहुमंजिले भवन के अन्य संपत्ति होल्डर्स के साथ संयुक्त रूप से रहेगा। क्रेता के द्वारा उक्त सुविधाओं पर ऐसा कोई भी अतिक्रमण अथवा व्यवधान नहीं किया जावेगा, जिससे कि इस भवन के अन्य संपत्ति होल्डर्स को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो व उनके अधिकारों को बाधा उत्पन्न होती है।

(14) यह कि, क्रेता उक्त संपत्ति का निर्माण पूरा होने के बाद अन्य सभी संपत्ति होल्डर्स के साथ अपनी एक उपसमिति बनावेंगे ताकि इस उपसमिति के माध्यम से सम्पूर्ण के संपत्ति की देखरेख की उन्होंना सके, बहुमंजिले भवन की कामन सुविधाओं व स्थानों के रखरखाव, दुरुस्ती इत्यादि में जो भी खर्च होगा उसमें क्रेता को अपना आनुपातिक हिस्सा नियमानुसार देय होगा।

अविरत...8.

*Chhatu*

*Chhatu*

*Guneet*



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725650

-- 8 --

(15) यह कि, क्रेता इस बिक्री की गई संपत्ति में ऐसे कोई भी नवीन कार्य दुरुस्ती तोडफोड इत्यादि नहीं करेगे, जिससे कि इस बहुमंजिले भवन की मूल रचना तथा अन्य संपत्ति होल्डर्स के संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे ।

(16) यह कि, क्रेता उक्त बिक्री की गई संपत्ति के लिये नैसर्गिक दुर्घटना व आग आदि से सुरक्षा के लिए अपने व्यय से बीमा करवा सकेंगे । भवन जमीदोज होने की दशा में क्रेता को निश्चित क्षेत्रफल तथा बिक्रीत स्थान पर निर्माण का अधिकार प्रचलित नियमानुसार रहेगा ।


(17) यह कि, बिक्री की गई संपत्ति का उपयोग व उपभोग क्रेता अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे एवं सदर संपत्ति सम्बन्धी लगने वाले समस्त टेक्सेस, संपत्ति कर, नल-बिजली व्यय व मेन्टेनेंस सोसायटी का आनुपातिक व्यय आदि आज दिनांक से क्रेता वहन करते जावेंगे ।

अविरत...9.

*Abdul*

*Guneet*

*Jitendra*



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725651

-- 9 --

(18) यह कि, शासन, नगर पालिक निगम, शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा जो नियम प्रचलित हैं या भविष्य में नये नियम बनेंगे उन सभी नियमों का पालन क्रेता को करना होगा तथा शासन द्वारा लगाया गया कोई भी भार या अधिभार हुआ तो वह सभी ओनर्स को सामूहिक रूप से आनुपातिक रूप से वहन करना पड़ेगा। इस बाबत विक्रेता का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

(19) यह कि, क्रेता को सदर संपत्ति में विद्युत कनेक्शन स्वयं मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में डिपाजिट राशि एवं अन्य जो भी व्यय आवश्यक होंगे (जैसे पेनल बोर्ड, ट्रांसफार्मर, केबल, पाईप आदि का व्यय) अदा कर विद्युत कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करना होगा और परमानेंट कनेक्शन प्राप्त होने तक जो अस्थायी विद्युत कनेक्शन का बिल आवेगा उसे विक्रेता को क्रेता अन्य समस्त संपत्ति ओनर्स की भांति अदा करेंगे।


(20) यह कि, क्रेता को सभी ओनर्स के साथ मिलकर एक मेन्टेनेंस सोसायटी का निर्माण करना होगा और मेन्टेनेंस सोसायटी द्वारा निर्धारित आवश्यक व्यवस्था शुल्क (मेन्टेनेंस राशि) नियमित रूप से क्रेता उक्त सोसायटी के यहां जमा करवाते रहेंगे।

अविरत...10.

*Alka*

*Guneet*

*D. Shrivastava*  
*A. B. Tato*



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725652

-- 10 --

(21) यह कि, सदर संपत्ति पर क्रेता इस विक्रय-लेख के जरिये समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व स्थानीय कार्यालयों में अपना नामांतरण करवा लेवेंगे। इस कार्यवाही में विक्रेता के हस्ताक्षर अथवा बयान आदि की जो भी आवश्यकता लगेगी वह समस्त सहयोग विक्रेता, क्रेता को प्रदान करेंगे।


(22) यह कि, सदर संपत्ति क्रेता ऋण प्राप्ति हेतु किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था आदि में बंधक रख सकेंगे। इस हेतु विक्रेता का कोई उजर नहीं रहेगा।

(23) यह कि, क्रेता सदर संपत्ति में अवैध, विस्फोटक व दुर्गम्ययुक्त वस्तु संग्रहित नहीं कर सकेंगे तथा न ही सदर संपत्ति में अवैध गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। क्रेता सदर संपत्ति में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकेंगे जिससे सदर भवन की शोभा को कोई क्षति पहुंचती हो।

अविरत...11.

*Oshan*

*Jahangir*  
*Akbar*  
*Guneet*



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725655

### संलग्न स्टाम्प

कँवलजीतसिंह भाटिया एच.यु.एफ. तर्फ़ कर्ता  
श्री कँवलजीतसिंह पिता श्री अमरजीतसिंह भाटिया  
निवासी 19-ए, प्रेम नगर, इंदौर म0प्र0

-विक्रेतापक्ष

- (1) श्री गुरजीतसिंह भाटिया पिता श्री अमरीकसिंह भाटिया  
(2) श्रीमती गुर्नीतकौर भाटिया पति श्री गुरजीतसिंह भाटिया  
दोनों निवासी 414, विष्णुपुरी एनेक्स, इंदौर म0प्र0

- क्रेतापक्ष


इति, इंदौर

Chaitia  
Guneet  
Kishan

659

29 NOV. 2012

दृश्यम पल नं 2075 प सलम्ब



26 DEC 2012

आज ता..... रात..... सन् 20.....

को पुस्तक

ग्रन्थ 174 12 पृष्ठ  
47-58 2075

देकर पंजीयन

उप-पंजीयक  
उप-विभाग, फैजार-2



मुद्रिक शुल्क  
पंजीयन शुल्क 12825/-  
पूर्णांकन 25/-  
वस्त्रा शुल्क  
भोग 12830/-

उप पंजीयक  
उप-विभाग, फैजार

